न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 116 / 2014

उनवान

1. रतन लाल पिता गोपी गुर्जर निवासी जोधडास, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. भँवर लाल पिता सोहन लाल कलाल, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
2. कन्हैया लाल पिता सोहन लाल कलाल, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
3. राजू पिता सोहन लाल कलाल, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
4. चांदी बेवा सोहन लाल कलाल, निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
5. मोहन पिता मूला कलाल, निवासी जोधडास के कायम मुकामः–
   5/1 लालचंद पिता स्व0 मोहन लाल कलाल,
   5/2 जगदीश पिता स्व0 मोहन लाल कलाल,
   5/3 बाबू लाल पिता स्व0 मोहन लाल कलाल,
   5/4 संतोष बेवा स्व0 मोहन लाल कलाल,
6. लक्ष्मण पिता मूला धाकड निवासी जोधडास तहसील व जिला भीलवाडा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

–––रेस्पोडेण्ट्स

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 781/2002 निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.2.2004

अभिभाषक : 1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी संख्या 5/1 से 5/4 अनुपस्थित
3.प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील व जिला भीलवाडा स्थित आराजी नम्बर 1105 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 1106 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 1141 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-

मूला कलाल

सोहन	लक्ष्मण	मोहन	संतोक	भँवर	कन्हैया	राजू	चांदी
	प्र0सं06	प्र0सं05		प्र0सं01	प्र0सं02	प्र0सं03	प्र0सं04

2. वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हक हिस्सा निहित है और वादी ने संतोक का 1/4 हिस्सा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में आराजियात संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। मौके पर पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

3. उक्त आराजियात का खाता शामलाती है इस कारण से पक्षकारान को लगान आदि जमा कराने में आये दिन मतभेद पैदा होता है और परेशानी होती है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि उक्त आराजियात का उक्तानुसार विभाजन करा खाता अलग–अलग करावे परन्तु प्रतिवादीगण इस हेतु तैयार नहीं हुए और अंतिम बार प्रतिवादीगण को खाता अलग कराने के लिए 10जुलाई 2002 को कहा तो प्रतिवादीगण साफ इंकार हो गये। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में से वादी के हिस्से की आराजियात 1/4 का खाता अलग करा, वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज करा, लगान अलग से जमा कराने की डिक्री पारित कराई जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादी के हिस्से में आई आराजियात में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा रूकावट न तो स्वयं प्रकट करें और न ही किसी अन्य से करावे। ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29.4.2003 को पारित की गई। उसके उपरान्त संशोधित डिक्री के कम में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं बंटवाडा प्रस्ताव पुल करवाये जाने के निवेदन पर पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम

(कैलास चन्द्र लखारा)
...-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
...राजस्व अपील अधिकारी, ...

डिक्री दिनांक 21.2.2004 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

6. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 5 की मृत्यु हो चुकी है । जिनके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 16.12.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया । जिसे रेकार्ड पर लिया गया । उभयपक्ष द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उभयपक्ष प्रकरण को रिमाण्ड करवाना चाहते हैं चूंकि अपीलाधीन प्रकरण में जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं उसके आधार पर जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। वह विधिसम्मत नहीं है क्योंकि जिस भूमि पर वादी बैठे हैं वह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई तथा जिस भूमि पर प्रतिवादीगण बैठे है वह वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई है। अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे ताकि बंटवाडा प्रस्ताव पुनः तैयार किया जाकर नवीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जा सके।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण ने आपसी सहमति से प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 21.2.2004 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में उभयपक्ष की मौजूदगी में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मौके पर सहमति से कब्जेअनुसार निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी,

उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27/1/2020 को उपस्थित रहे।

8. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा